लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
020/2023 (GCMS 2023/69)	24.02.2023	14.03.2023

अनवान

रामलाल पिता कालूलाल गुर्जर निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ से सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 09.01.2023 को प्रस्तुत किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./020/2023(सू.अ.)(14.03.2023)/191 दिनांक 24.02.2023 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 14.03.2023 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 14.03.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस प्रेषित की गई, जो शामिल पत्रावली होकर, रिकॉर्ड पर हैं। अपीलार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस में अवगत कराया गया कि उसे वांछित सूचना सहायक लोक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा से आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः वांछित सूचनाऐं आवेदन के अनुरूप पूर्ण, स्पष्ट, सही, अतिशीघ्र एवं निःशुल्क दिलवाने के आदेश प्रदान करावें। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/आरटीआई/2023/195 दिनांक 10.03.2023 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः—

अपीलार्थी के आवेदन के उपरांत कार्यालय में रिकॉर्ड की गहन तलाशी की गई एवं आवेदन में वर्णित पत्रावली नहीं मिल पाई हैं। वांछित पत्रावली की तलाशी के दौरान श्री सांवलिया मंदिर विस्तार एवं मंदिर परिसर निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति के तहसीलदार भदेसर का पत्रांक राजस्व 936 दिनांक 17 जून 1996 तथा श्री सांवलिया मंदिर मण्डल मण्डफिया जिला चित्तौड़गढ़ की श्री सांवलियाजी मंदिर का विस्तार एवं परिसर निर्माण योजना में आने वाले मकान, दुकान व बाडों तथा कृषि भूमि की सूची जो ग्राम मण्डफिया तहसील भदेसर अवाप्त की जानी की सूची में कालू गुर्जर पिता श्री चतुर्भुज गुर्जर का नाम नहीं पाया गया। अपीलार्थी के पास उक्त अवाप्ति की संबंध में कोई दस्तावेज हो, तो चाही गई सूचना स्पष्ट होने पर पुनः तलाश ली जावेगी।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो एवं लिखित बहस, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन—मनन किया। अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित टिप्पणी में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक के संबंध में उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है, यह स्पष्ट नहीं कराया गया हैं। इसके साथ ही आवेदक का आवेदन लोक सूचना अधिकारी को कब प्राप्त हुआ है, यह भी स्पष्ट नहीं कराया गया हैं। जबकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील के माध्यम से आवेदन प्राप्त होना जाहिर आया हैं। जबकि अपीलार्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र दिनांक 09.01.2023 जरिये रजिस्टर्ड डाक नंबर **RR362458505IN** से दिनांक 13.01.2023 से प्रेषित करना साबित कराया हैं। इसके साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब/टिप्पणी में आवेदन के संबंध में सूचना इस न्यायालय को प्रेषित की गई हैं। एवं अब तक अपीलार्थी को आवेदन के संबंध में किसी भी प्रकार से सूचित किया जाना प्रमाणित नहीं होता हैं। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम, 2005 के नियमों की पालना उचित रूप से नहीं की गई हैं, जो कि सर्वथा अनुचित हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आवेदन दिनांक 09.01.2023 की प्रति पुनः प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को आवदेन पत्र दिनांक 09.01.2023 से वांछित सूचना आगामी 15 दिवस में तलाश कर निःशुल्क प्रेषित करें। साथ ही अधीनस्थ लोक सूचना को निर्देशित किया जाता है कि वह भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पर निर्धारित समयावधि में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **14.03.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-SD-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)